

प्रारूप 1
(नियम 5 (1) और (2) तथा नियम 17 (3) देखें)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 (2005 का 43) की धारा 9 (ख) और धारा 37 (2) (ग) के अधीन घरेलू घटना की रिपोर्ट

1- परिवादी/व्यथित व्यक्ति के ब्यौरे :-

- (1) परिवादी/व्यथित व्यक्ति का नाम -
- (2) आयु -
- (3) साझी गृहस्थी का नाम -
- (4) वर्तमान पता -
- (5) दूरभाष नं., यदि कोई हो -

2- प्रत्यर्थियों के ब्यौरे :

| क्रम सं. | नाम | व्यथित व्यक्ति के साथ नातेदारी | पता | दूरभाष नं. यदि कोई हो |
|----------|-----|--------------------------------|-----|-----------------------|
| | | | | |

3- व्यथित व्यक्ति की संतानों के ब्यौरे, यदि कोई हो :

- (क) संतानों की संख्या :
- (ख) संतानों के ब्यौरे :

| नाम | आयु | लिंग | वर्तमान में किसके साथ निवास कर रहे हैं |
|-----|-----|------|--|
| | | | |

4- घरेलू हिंसा की घटनाएं :

| क्रम सं. | हिंसा की तारीख स्थान और समय | वह व्यक्ति जिसने घरेलू हिंसा कारित की | घटना का प्रकार शारीरिक हिंसा किस व्यक्ति को उपहतिकारित की गई है कृपया विनिर्दिष्ट करें। | टिप्पणियाँ |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| | | | | |

(क) लैंगिक हिंसा

कृप्या लागू होने वाले स्तंभ के सामने (✓) चिन्हित करें।

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | बलपूर्वक मैथुन | |
| | | | अश्लील साहित्य या अन्य सामग्री देखने के लिए मजबूर करना | |
| | | | आपका अन्य व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए उपयोग करना | |
| | | | लैंगिक प्रकृति या दुर्व्यवहार, अपमानजनक, तिरस्कारपूर्ण या आपकी गरिमा का अतिक्रमण करने वाला कोई अन्य कार्य करना | |
| | | | (कृप्या नीचे दिए गए खाली स्थान में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें) | |

(ख) मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | चरित्र या आचरण आदि पर अभियोग/कलंक लगाना | |
| | | | दहेज आदि न लाने हेतु अपमान करना | |
| | | | पुरुष संतान न होने के लिए अपमान करना | |
| | | | कोई संतान न होने के लिए अपमान करना | |
| | | | अप्रतिष्ठित, अपमानजनक या क्षतिकारक टिप्पणियाँ/कथन करना | |
| | | | उपहास करना | |
| | | | निंदा करना | |
| | | | आपको विद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक स्थान में न जाने पर बल देना | |
| | | | आपको नौकरी करने से रोकना | |
| | | | घर से बाहर जाने से रोकना | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने से निवारित करना</p> <p>अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने पर बल देना</p> <p>अपनी पसंद के व्यक्ति के विवाह करने से निवारित करना</p> <p>आपको उसकी/उनकी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने पर बल देना</p> <p>कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक, दुर्व्यवहार करना</p> <p>(कृप्या नीचे दिए गए स्थान में विनिर्दिष्ट करें)</p> | |
|--|--|--|--|--|

(ग) आर्थिक बल प्रयोग

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>आपको या आपकी संतानों को भरणपोषण के लिए धन न देना</p> <p>आपको या आपकी संतानों को खाना कपड़े, दवाईयाँ आदि उपलब्ध न करवाना</p> <p>घर से बाहर रहने के लिए मजबूर करना आपको घर के किसी भाग में घुसने या उसका उपयोग करने से रोका जाना</p> <p>आपको आपकी नौकरी करने से निवारित किया जा रहा है या उसमें बाधा डाली जा रही है</p> <p>नौकरी करने की अनुज्ञा न देना</p> <p>भाड़े पर ली गई वास-सुविधा की दशा में भाड़ा न देना।</p> <p>कपड़ों या साधारण घर गृहस्थी के उपयोग की वस्तुओं के उपयोग की</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>अनुज्ञा न देना।</p> <p>आपको सूचित किए बिना और आपकी सहमति के बिना स्त्रीधन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बेच देना या बंधक रख देना</p> <p>आपको वेतन, आय या मजदूरी आदि बलपूर्वक ले लेना।</p> <p>स्त्रीधन का व्ययन करना।</p> <p>बिजली आदि जैसे अन्य बिलों का भुगतान न करना।</p> <p>कोई अन्य आर्थिक बल प्रयोग</p> <p>(कृप्या नीचे दिए गए स्थान में विनिर्दिष्ट करें)</p> | |
|--|--|--|--|--|

(घ) दहेज संबंधी उत्पीड़न

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>दहेज के लिए की गई मांग कृप्या विनिर्दिष्ट करें</p> <p>दहेज से संबंधित कोई अन्य ब्यौरा, कृप्या विनिर्दिष्ट करें।</p> <p>क्या दहेज की मदें स्त्रीधन आदि के ब्यौरे प्रारूप के साथ संलग्न हैं</p> <p>हाँ</p> <p>नहीं</p> | |
|--|--|--|---|--|

(ण) आपके या आपकी संतानों के विरुद्ध घरेलू हिंसा से संबंधित कोई अन्य सूचना

(परिवादी/व्यथित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

5— संलग्न दस्तावेजों की सूची

| | | |
|-------------------|-------|-----------------|
| दस्तावेजों का नाम | तारीख | कोई अन्य ब्यौरा |
|-------------------|-------|-----------------|

| | | |
|--|--|--|
| चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र | | |
| चिकित्सक प्रमाणपत्र या कोई अन्य नुस्खा | | |
| स्त्रीधन की सूची | | |
| कोई अन्य दस्तावेज | | |

6—वह आदेश जिसकी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन आपको आवश्यकता है:—

| क्रम सं. | आदेश | हाँ/नहीं | कोई अन्य |
|----------|----------------------------------|----------|----------|
| 1. | धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश | | |
| 2. | धारा 19 के अधीन निवास आदेश | | |
| 3. | धारा 20 के अधीन भरण—पोषण का आदेश | | |
| 4. | धारा 21 के अधीन अभिरक्षा आदेश | | |
| 5. | धारा 22 के अधीन प्रतिकर का आदेश | | |
| 6. | कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें) | | |

7. ऐसी सहायता जिसकी आपको आवश्यकता हो :-

| क्रम सं. | उपलब्ध सहायता | हाँ/नहीं | सहायता की प्रकृति |
|----------|--|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | परामर्शदाता | | |
| 2. | पुलिस सहायता | | |
| 3. | दांडिक कार्यवाहियाँ प्रारंभ करने के लिए सहायता | | |
| 4. | आश्रय गृह | | |
| 5. | चिकित्सा सुविधाएँ | | |
| 6. | विधिक सहायता | | |

8— किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में सहायता करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए अनुदेश जहाँ कहीं इस प्रारूप में उपलब्ध करवाई गई सूचना से भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन किया गया कोई अपराध प्रकट होता है, वहाँ पुलिस अधिकारी

(क) व्यथित व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करके दांडिक कार्यवाहियाँ प्रारंभ कर सकती हैं।

- (ख) यदि व्यथित व्यक्ति दांडिक कार्यवाहियाँ प्रारंभ करना नहीं चाहती हैं तो घरेलू हिंसा रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सूचना के अनुसार इस टिप्पणी के साथ दैनिक डायरी प्रविष्टि करेगा कि व्यथित, अभियुक्त के साथ घनिष्ट प्रकृति के संबंध होने के कारण घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण के लिए सिविल उपाय जारी रखना चाहती हैं और उसने यह अनुरोध किया है कि उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मामले की किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पूर्व समुचित जाँच के लिए लंबित रखा जाए।
- (ग) यदि व्यथित व्यक्ति द्वारा किसी शारीरिक उपहति या पीड़ा की सूचना दी गई है तो उसे तुरन्त चिकित्सी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और व्यथित व्यक्ति की चिकित्सीय जाँच की जाएगी।

स्थान :

(अभियोजन अधिकारी/सेवा प्रदाता के प्रति हस्ताक्षर)

तारीख :

नाम :

पता :

(मुद्रा)

निम्नलिखित को प्रति अग्रेषित की गई :-

- 1- स्थानीय पुलिस थाना
- 2- सेवा प्रदाता/अभियोजन अधिकारी
- 3- व्यथित व्यक्ति
- 4- मजिस्ट्रेट